

बिहार सरकार  
खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग

संकल्प

विषय :- राज्य में लक्षित जन वितरण प्रणाली के माध्यम से बी० पी० एल० एवं अन्त्योदय अन्न योजना के परिवार/लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा एवं दर पर खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु राशन कूपन योजना लागू करने के सम्बन्ध में ।

राज्य में वर्तमान में जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के माध्यम से लक्षित बी० पी० एल० एवं अन्त्योदय परिवारों को खाद्यान्न की आपूर्ति उनके राशन कार्डों के आधार पर किया जाता है । इस व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से राज्य में बिहार राशन कूपन योजना 2006 लागू करने का निर्णय लिया गया है ।

2. राशन कूपन योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बी० पी० एल० एवं अन्त्योदय परिवारों को प्रतिमाह निर्धारित मात्रा एवं दर पर खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु बी० पी० एल० परिवारों को लाल एवं अन्त्योदय परिवारों को पीला रंग का राशन कूपन निर्गत किया जायेगा । उक्त कूपन पर लाभार्थियों को दिये जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा एवं मूल्य दर अंकित रहेगा ।
3. राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की सर्वेक्षित सूची को खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग द्वारा भी अंगीकृत किया जायेगा । सरकार के उक्त नीतिगत निर्णय के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वर्ष 2006 में किये गये पारिवारिक सर्वेक्षण के पश्चात् 0-13 तक अंक प्राप्त करने वाले परिवारों को ही गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें बी० पी० एल० एवं अन्त्योदय परिवार शामिल हैं ।
4. प्रथम चरण में यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की जा रही है । नगर विकास विभाग द्वारा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के सर्वेक्षण के पश्चात् प्राप्त सर्वेक्षित सूची के आलोक में शहरी क्षेत्रों में भी राशन कूपन योजना अगले चरण में लागू की जाएगी ।
5. राशन कूपन योजना - 2006 के अन्तर्गत निहित दिशा निदेश के अनुसार यह योजना कार्यान्वित की जायगी ।

6. राशन कूपन योजना राज्य में मार्च, 07 से लागू किया जाएगा ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प का प्रकाशन सामान्य जानकारी हेतु बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में किया जाय ।

ह0  
(के0 सी0 साहा)  
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक - प्र06-विविध-22/06

दिनांक -

प्रतिलिपि - अधीक्षक, सरकारी प्रेस, गुलजारबाग, पटना को इसे बिहार गजट के अगले असाधारण अंक प्रकाशन हेतु 5 प्रतियों में प्रेषित ।

उनसे अनुरोध है कि उक्त संकल्प की 500 प्रकाशित प्रतियां विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा कजी जाय ।

ह0  
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक - प्र06-विविध-22/06 3833 दिनांक 7 12 06

प्रतिलिपि - सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

6 12 06  
आयुक्त एवं सचिव ।